

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम म0प्र0


// निविदा आमंत्रण सूचना //

सर्वसाधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि तहसील न्यायालय आलोट परिसर में कैंटीन का संचालन किया जाना है।

अतः इस विज्ञप्ति की निविदा शर्तों के अधीन जो संस्था या व्यक्ति तहसील न्यायालय आलोट परिसर में कैंटीन का संचालन करना चाहता है वे अध्यक्ष, कैंटीन संचालन समिति आलोट/जिला न्यायाधीश आलोट में कार्य दिवस के दौरान निविदा के संबंध में आवश्यक शर्तों की जानकारी प्राप्त कर शर्तों अनुसार सीलबंद निविदा अंतिम तिथि **दिनांक 17.10.2022** को सायं 5:00 बजे तक कार्यालय जिला न्यायाधीश आलोट में प्रस्तुत कर सकते हैं, नियत समयावधि उपरांत प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

निविदा **दिनांक 18.10.2022** को निविदाकर्ता/उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष सायं 5:00 बजे, स्थान तहसील न्यायालय आलोट पर खोली जावेगी।

साथ ही उक्त निविदा को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अधिकारिक वेबसाईट www.mphc.gov.in एवं www.tenders.gov.in पर देखा जा सकता है।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रतलाम

केंटीन संचालन हेतु निविदा फार्म तथा शर्तें

:: निविदा फार्म ::

कार्यालय की सील

केंटीन का संचालन का स्थान:- न्यायालय परिसर आलोट

प्रथम पक्ष :- निविदाकर्ता का नाम -

पता -

मोबाईल नंबर -

केंटीन संचालन हेतु प्रस्तावित (वार्षिक) राशि -

(शब्दों में राशि -))

द्वितीय पक्ष :- अध्यक्ष, केंटीन संचालन समिति एवं
जिला न्यायाधीश आलोट

तहसील न्यायालय परिसर आलोट स्थित केंटीन के संचालन हेतु निविदाकर्ताओं से वर्ष 2022-23 हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं :-

// निर्धारित शर्तें //

- 1- अनुज्ञा शुल्क तहसील न्यायालय आलोट स्थित केंटीन हेतु न्यूनतम रूपये 96,000/- वार्षिक दर से होगा।
- 2- प्रथम पक्ष द्वारा केंटीन संचालन हेतु राशि रूपये 20,000/-रूपये की एफ.डी.आर. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम के नाम से एक वर्ष हेतु गारंटी के रूप में जमा की जावेगी। जिस पर कोई ब्याज कार्यालय द्वारा देय नहीं होगा। परंतु सावधि पर अर्जित बैंक ब्याज प्रथम पक्ष प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

- 3- तहसील आलोट परिसर में संचालक को कैंटीन के संचालन हेतु स्थान का चयन अध्यक्ष, कैंटीन संचालन समिति एवं जिला न्यायाधीश आलोट द्वारा किया जावेगा तथा स्थान उपलब्ध कराया जावेगा जिस पर कैंटीन संचालक को स्वयं के व्यय पर अस्थायी रूप से कैंटीन का निर्माण करने की अनुमति दी जावेगी।

कैंटीन संचालक द्वारा उक्त अस्थायी कैंटीन के आस-पास के स्थान पर अनावश्यक रूप से अतिक्रमण नहीं किया जावेगा।

- 4- प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध एक वर्ष के लिए संपादित किया जा रहा है। अनुबंध अनुसार कैंटीन संचालन की एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर संचालन की अवधि में एक वर्ष की वृद्धि की जा सकती है, इस हेतु प्रथम पक्ष द्वारा अधिकतम बोली की राशि निर्धारित की गई है, उस राशि के अतिरिक्त उक्त राशि पर 10 प्रतिशत राशि अतिरिक्त रूप से द्वितीय पक्ष को अदा करनी होगी एवं अनुज्ञा शुल्क की राशि उपरोक्तानुसार न्यायालय परिसर आलोट स्थित कैंटीन के संचालन हेतु एक मुश्त जमा करनी होगी। कैंटीन संचालन हेतु अतिरिक्त रूप से एक वर्ष की वृद्धि चाहने पर प्रथम पक्ष को अनुबंध समाप्त होने के दिनांक के एक माह पूर्व आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।
- 5- कैंटीन संचालन में अनुबंध अनुसार अवधि पूर्ण होने के पूर्व यदि प्रथम पक्ष द्वारा कैंटीन का संचालन बंद किया जाता है तो प्रथम पक्ष को उसके द्वारा जमा की गई एफ.डी. आर राशि लौटाई नहीं जावेगी।
- 6- कैंटीन संचालक को निविदा फॉर्म के साथ रु. 5,000/-की जमानत राशि अध्यक्ष, कैंटीन संचालन समिति एवं जिला न्यायाधीश आलोट को देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत करना होगी। सफल प्रथम पक्ष के अतिरिक्त शेष प्रथम पक्ष को उक्त अमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट लौटा दिया जावेगा, किंतु सफल प्रथम पक्ष की अग्रिम वाली उक्त राशि सहित कुल राशि अधिकतम बोली के बराबर हो, प्रथम पक्ष और अध्यक्ष, कैंटीन संचालन समिति एवं जिला न्यायाधीश आलोट के संयुक्त नाम की बैंक एफ.डी. के रूप में अमानत राशि के रूप में रखी जावेगी, जो प्रथम पक्ष द्वारा शर्त के किसी भी रूप में उल्लंघन किये जाने पर समिति द्वारा सम्पूत की जा सकेगी।
- 7- सफल प्रथम पक्ष द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत एफ.डी.आर. अनुज्ञा अवधि की समाप्ति पर प्रथम पक्ष को वापस की जावेगी, जिस पर कोई ब्याज नहीं होगा। परंतु सावधि पर अर्जित बैंक ब्याज प्रथम पक्ष प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- 8- प्रथम पक्ष द्वारा कैंटीन संचालन हेतु अनुबंध दिनांक..... से दिनांक तक आगामी एक वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगा।
- 9- जिस प्रथम पक्ष की अधिकतम बोली अंतिम रूप से मान्य होगी, उसे प्रथम पक्ष के अनुबंध निष्पादन दिनांक को या उसके पूर्व बोली की निर्धारित राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी तथा शेष 50 प्रतिशत राशि अनुबंध दिनांक से ठीक 06 माह पूर्ण होने के 15 दिवस पूर्व जमा करनी होगी अन्यथा अनुबंध निरस्त करने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

- 10- अनुबंध की शर्तों को प्रथम पक्ष द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उल्लंघन करने की दशा में अथवा अन्यथा स्थिति निर्मित होने पर बिना किसी सूचना के कैंटीन अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा एवं धरोहर राशि शासन के हित में राजसात की जा सकेगी, जिसका कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।
- 11- माननीय उच्च न्यायालय, म.प्र. के आदेशानुसार या अन्यथा अध्यक्ष, कैंटीन संचालन समिति एवं जिला न्यायाधीश आलोट द्वारा अनुज्ञा शर्तों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसका प्रथम पक्ष को पालन करना अनिवार्य होगा।
- 12- कैंटीन के संचालन अथवा अनुज्ञा की शर्तों के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर विवाद का निराकरण अध्यक्ष, कैंटीन संचालन समिति एवं जिला न्यायाधीश आलोट द्वारा किया जावेगा, जिसका निर्णय/अवॉर्ड अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
- 13- कैंटीन संचालक /प्रथम पक्ष ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या शासकीय संपत्ति की क्षति कारित हो अन्यथा अनुज्ञा समाप्त की जा सकेगी।
- 14- कैंटीन संचालक/प्रथम पक्ष कैंटीन संचालन के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई विधि विरुद्ध गतिविधि संचालित नहीं करेगा अन्यथा निविदकर्ता के विरुद्ध विधिवत् कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
- 15- कैंटीन संचालक/प्रथम पक्ष या उसके कर्मचारी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों हेतु परिसर का उपयोग नहीं करेंगे और न ही करने देंगे, और उक्त शर्त का उल्लंघन करने पर कैंटीन अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।
- 16- कैंटीन संचालक/प्रथम पक्ष द्वारा ग्राहक/अधिवक्तागण/पक्षकारणगण/कर्मचारीगण से कैंटीन संचालन के दौरान किसी तरह का वाद-विवाद नहीं करेगा।
- 17- कैंटीन संचालक/प्रथम पक्ष द्वारा कैंटीन परिसर में कोई खतरनाक सामान/प्रतिबंधित/अवैध/विषाक्त/पान, गुटखा, तम्बाकु, सिगरेट, शराब आदि का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उक्त शर्त का उल्लंघन किये जाने पर किसी भी प्रकार की दाण्डिक कार्यवाही हेतु स्वयं जिम्मेदार रहेगा।
- 18- कैंटीन परिसर का उपयोग आवासीय उद्देश्य के लिये नहीं किया जावेगा, अध्यक्ष कैंटीन संचालन समिति/जिला न्यायाधीश आलोट की लिखित अनुमति के बिना किसी भी कर्मचारी या व्यक्ति को रात में कैंटीन में रहने अथवा काम करने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 19- कैंटीन में कामगारों के आचरण/चरित्र/पूर्ववत् और उचित आचरण एवं व्यवहार की पूरी जिम्मेदारी कैंटीन संचालक की होगी। लाइसेंसधारी को अपने सभी कर्मचारियों (स्थायी/अस्थायी/आकस्मिक) का आवश्यक विवरण – आधार कार्ड की प्रति/पहचान पत्र सहित अध्यक्ष कैंटीन संचालन समिति/जिला न्यायाधीश आलोट को प्रदान करना होगा।

- 20— समय-समय पर द्वितीय पक्ष/अध्यक्ष, कैंटीन संचालन समिति एवं जिला न्यायाधीश आलोट या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कैंटीन का निरीक्षण किया जा सकेगा।
- 21— कैंटीन संचालक/प्रथम पक्ष, कैंटीन का संचालन न्यायालयीन कार्यदिवस में समय-समय पर द्वितीय पक्ष द्वारा दिये गये निर्देशानुसार किया जावेगा तथा लोक अदालत आदि के विशेष अवसर पर कैंटीन का संचालन आवश्यक रूप से किया जावेगा।
- 22— कैंटीन संचालक/प्रथम पक्ष कैंटीन के संचालन के दौरान उन्हें आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार स्थाई निर्माण/संरचना नहीं किया जावेगा। प्रथम पक्ष द्वारा कैंटीन संचालन में कोई अस्थाई निर्माण, जो कि व्यवसाय संचालन में आवश्यक है, पूर्व में जिला न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुए अनुमोदित करवाने के उपरांत ही कर सकेंगे, जो शासकीय संपत्ति की क्षति कारित करने वाला न हो, किन्हीं कारणों से यदि द्वितीय पक्ष अस्थाई निर्माण के हटाने का आदेश देगा तो प्रथम पक्ष अपने अस्थाई निर्माण को स्वयं के व्यय पर हटाएगा।
- 23— कैंटीन संचालक/प्रथम पक्ष कैंटीन कक्ष का पृथक् से विद्युत संयोजन प्राप्त कर निर्धारित अवधि के विद्युत देयक भुगतान करेगा तथा पेयजल व्यवस्था पर्याप्त रूप से स्वयं के व्यय पर करना होगी।
- 24— कैंटीन संचालन के लिए संचालक द्वारा ही समस्त आवश्यक उपकरण एवं जरूरी सामग्रियों को रखा जावेगा एवं रखरखाव में हुए व्यय का वहन कैंटीन संचालक को करना होगा।
- 25— कैंटीन संचालक, कैंटीन दुकान का विधि अनुसार संबंधित नगरपालिका परिषद् एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत दुकान पंजीयन करायेगा तथा समस्त प्रकार के करों का भुगतान करेगा।
- 26— कैंटीन संचालक द्वारा खाद्य सामग्री विक्रय की दर कैंटीन संचालन समिति से अनुमोदित कराई जावेगी, ऐसी दर बाजार दर से अधिक नहीं होगी एवं अनुमोदित दरों पर ही मानक स्तर की खाद्य सामग्री विक्रय की जावेगी।
- 27— विक्रय योग्य वस्तुओं की दरें कैंटीन परिसर में सदृश्य भाग पर प्रदर्शित करने का उत्तरदायित्व भी कैंटीन संचालक का होगा।
- 28— कैंटीन संचालक कैंटीन तथा आसपास के परिसर को पूर्णतः स्वच्छ रखेगा अन्यथा कैंटीन संचालन समिति द्वारा प्रति दिवस पांच सौ रूपये की दर से दण्ड अधिरोपित की जा सकेगी।
- 29— कैंटीन संचालक अनावश्यक रूप से कैंटीन बंद नहीं रखेगा अन्यथा कैंटीन संचालन समिति के द्वारा 500/-रूपये प्रतिदिन की दर से दण्ड अधिरोपित की जा सकेगी।
- 30— कैंटीन संचालन में व्यवधान आने की स्थिति में कैंटीन संचालन समिति का कोई दायित्व नहीं रहेगा।

- 31- केंटीन संचालक द्वारा विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता अच्छी रखना होगी तथा नियम कानून और विनियमों के अनुसार लागू होनी चाहिए जिसकी औचक निरीक्षण किसी भी समय किया जाकर अथवा उल्लंघन होने पर लायसेंस रद्द किया जा सकेगा
- 32- भवन के नक्शे में उल्लेखित 'अ' स्थान का भाग केंटीन कक्ष संचालन हेतु दिया जावेगा, प्रथम पक्ष निविदा फॉर्म जमा करने के पूर्व केंटीन संचालन स्थान का अवलोकन आवश्यक रूप से कर लेवे।
- 33- सफल केंटीन संचालक द्वारा निविदा फॉर्म में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन किये जाने संबंधी अनुबंध निर्धारित प्रारूप पर उचित स्टाम्प ड्यूटी पर स्वयं के व्यय से निष्पादन किया जावेगा।
- 34- अध्यक्ष, केंटीन संचालन समिति/जिला न्यायाधीश आलोट द्वारा अनुमोदित समय पर सामान्यतः प्रातः 09 बजे से सायं 07 बजे तक ही चलाई जाएगी तथा न्यायालयीन सुरक्षा और अनुशासन का केंटीन संचालक को पूर्ण पालन करना होगा तथा अवकाश के दिनों में बिना अनुमति के केंटीन का संचालन नहीं किया जावेगा।
- 35- समिति द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले या पूर्व में शर्तों का उल्लंघन करने/विवाद वाले या अन्यथा अभिभाषकों/न्यायालयीन कर्मचारियों/ पक्षकारों आदि से विवाद करने वाले व्यक्तियों को निविदा की कार्यवाही में भाग लिये जाने से अयोग्य घोषित किया जा सकेगा/उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जा सकेगा/निविदा निरस्त की जा सकेगी।
- 36- अध्यक्ष, केंटीन संचालन समिति/जिला न्यायाधीश आलोट को यह अधिकार रहेगा कि वह निविदा के अंतर्गत की गई शर्तों में से किसी शर्त को परिवर्तित या परिवर्धित अथवा रद्द कर सकता है।
- 37- केंटीन संचालक द्वारा अस्थायी केंटीन की दुकान वाले भाग में स्वयं के व्यय पर सम्पूर्ण बैठक व्यवस्था/मरम्मत आदि का कार्य करना होगा।
- 38- केंटीन संचालक द्वारा केंटीन परिसर की सुरक्षा हेतु अग्निशामक उपकरण की व्यवस्था स्वयं के व्यय पर करनी होगी एवं परिसर में किसी भी प्रकार की क्षति/हानि होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई केंटीन संचालक को करना होगा।
- 39- केंटीन संचालन से संबंधित मामलों में अध्यक्ष, केंटीन संचालन समिति/जिला न्यायाधीश आलोट का निर्णय अंतिम और केंटीन संचालक पर बाध्यकारी होगा।
- 40- उपर वर्णित शर्तों के उल्लंघन के संबंध में या अन्यथा परिस्थितियों में आपराधिक कृत्य हेतु उत्तरदायित्व केंटीन संचालक का ही रहेगा।

अध्यक्ष, केंटीन संचालन समिति एवं जिला न्यायाधीश आलोट को अधिकार रहेगा कि वह निविदा की घोषित की गई शर्तों में से किसी भी शर्त को परिवर्तित/परिवर्धित अथवा रद्द कर सकता है। निविदाएँ दिनांक 18.10.2022 को सायंकाल 5:00 बजे समिति द्वारा स्थान – तहसील न्यायालय परिसर आलोट में खोली जावेगी। जिसमें निविदाकर्ता उपस्थित रह सकते हैं।

मुझे निविदा की समस्त शर्तें स्वीकार हैं।

निविदाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष) –

.....

मोबाईल न. –

केंटीन संचालन समिति का अभिमत :-

अध्यक्ष, केंटीन संचालन समिति एवं जिला न्यायाधीश आलोट	सदस्य केंटीन संचालन समिति एवं अति. जिला न्यायाधीश आलोट	सदस्य केंटीन संचालन समिति एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड आलोट
---	---	---